



भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
Government of India
Ministry of External Affairs

पंजीकरण प्रमाणपत्र
Registration Certificate

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के अधीन जारी
Issued under Section 11 of the Emigration Act, 1983



यह पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के प्रावधान के तहत उस एजेंसी को जारी किया जाता है, जिसका विवरण प्रमाणपत्र में दिया गया है, ताकि वह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी रूप से विदेशी नियोक्ताओं के साथ भारतीय श्रमिकों की तैनाती के लिए भर्ती का व्यवसाय शुरू कर सके या चला सके और प्रमाणपत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन हो।

This registration certificate is issued under the provision of section 11 of the emigration act, 1983 to the agency whose particulars have been given in the certificate to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers with effect from the date of issue of the certificate and subject to the terms and conditions stipulated in the certificate.

एजेंसी का विवरण

PARTICULARS OF THE AGENCY

एजेंसी का नाम Name of the Agency	UPRN PRIVATE LIMITED		
पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या Registration Certificate Number	B-3543/KAR/COM/100/5/11548/2026		
एजेंसी की प्रकृति (कंपनी/स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म) Nature of the Agency (Company/Proprietorship Firm/Partnership Firm)	COMPANY		
पं. प्र.धारक का नाम एवं पद Name of the RC Holder & Position	NIRVI KIRTHY KUMAR SHAH (MANAGING DIRECTOR)		
पं. प्र. धारक की राष्ट्रियता Nationality of the RC Holder	INDIAN	पं. प्र. धारक के जन्म की तारीख Date of Birth of the RC Holder	08-09-1978
पं. प्र.जारी करने की तिथि Date of issue of RC	12-10-2026	वैधता की समाप्ति की तिथि Date of Expiry of Validity	16-09-2031
भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की सीमा Limit of workers to be recruited	100	वैधता की अवधि Period of Validity years from	12-10-2026 to 16-09-2031
एजेंसी का कार्यालय पता Office Address of the Agency	NO. 401, RANKA PARK, RICHMOND CIRCLE, LALBAGH ROAD, SAMPANGIRAMNAGAR, BANGALORE, BANGALORE SOUTH KARNATAKA, INDIA, 560027, BANGALORE, BENGALURU URBAN, KARNATAKA, INDIA, 560027		
एजेंसी का ई-मेल पता Email address of the Agency	[REDACTED]		
		एजेंसी की दूरभाष सं. Telephone Number	[REDACTED]
शाखा का पता (यदि कोई हो) Branch Address (if any)			



RA6757593

Digitally signed by: JOHN MAI
Date: Mon Oct 12 17:56:31 IST 2026

Protector General of Emigrants
पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और मुहर
Signature, Name and Seal of the Registering Authority

प्रपत्र-V
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
प्रमाणपत्र
Form - V
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
CERTIFICATE
[नियम 10 (2) देखें]
[See rule 10 (2)]



भारतीय श्रमिकों को विदेशी नियोक्ताओं के पास नियोजन हेतु भर्ती करने का व्यवसाय शुरू करने या चलाने हेतु उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 12-10-2026 के संदर्भ में मैसर्स UPRN PRIVATE LIMITED को उक्त प्रमाणपत्र एतद्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर प्रदान किया जाता है, अर्थात्:

With reference to the application dated 12-10-2026 for grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983 to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s UPRN PRIVATE LIMITED is hereby granted the said certificate effective from the date of issue of this certificate, Subject to the following terms and conditions, namely:

(i) कि यह व्यवसाय/ that the business shall be conducted at NO. 401, RANKA PARK, RICHMOND CIRCLE, LALBAGH ROAD, SAMPANGIRAMNAGAR, BANGALORE, BANGALORE SOUTH KARNATAKA, INDIA, 560027, BANGALORE, BENGALURU URBAN, KARNATAKAINDIA, 560027 में किया जाएगा।

(ii) कि यह प्रमाणपत्र 5 [पाँच] वर्षों की अवधि के लिए या 100 श्रमिकों की भर्ती पूरी होने तक, जो पहले हो, वैध रहेगा। विनिर्धारित अवधि से पहले निर्धारित संख्या के श्रमिकों की भर्ती पूरी हो जाने की स्थिति में प्रमाणपत्र धारक को वास्तविक माँग का साक्ष्य that this certificate is valid for a period of 5 [पाँच] years or till the completion of the recruitment of 100 workers, whichever is earlier. In the event of the recruitment of the specified number getting completed before the specific period, the holder of the certificate can be permitted to continue recruitment up to the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand and on furnishing additional security under sub rule (2) of Rule 8

(iii) कि प्रमाणपत्र धारक यह व्यवसाय निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर और मोहर के अंतर्गत करेगा और यह प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा। that the holder of the certificate shall conduct business under signatures and seal of the director / partners / proprietor and the certificate shall not be transferable.

(iv) कि इस पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोप्रति व्यवसाय परिसर में एक ध्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय अक्षरों में लिखकर दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही किसी अन्य परिसर में, यदि कोई उपलब्ध है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित उसकी एक प्रति ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर में ध्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय अक्षरों में लिखकर दर्शायी जाएगी जिसमें भर्ती एजेंट को व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु पृष्ठांकित किया गया होगा। मूल प्रमाणपत्र उत्प्रवासन प्राधिकारियों/विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों और नियोक्ताओं द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

that a photocopy of this registration certificate shall be prominently displayed at a conspicuous place in the premises of the business. Also, a copy attested by the registering authority with an endorsement of having authorized the recruiting agent to carry on the business at additional premises, if any, shall be displayed at a conspicuous place in the business premises of such Branch Office, Original Certificate shall be produced on demand by the emigration authorities/law enforcing authorities and employer;

(v) कि प्रमाणपत्र धारक सामान्य तौर पर पंजीकरण आवेदन में उल्लिखित स्थान से व्यवसाय करेगा। आवेदन में उल्लिखित स्थान से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भर्ती केन्द्र खोलने के लिए प्रमाणपत्र धारक को पंजीकरण प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। that the holder of the certificate shall normally conduct the business from the place indicated in the application for registration. For opening a Recruitment centre at a place other than the place indicated in the application, the holder of the certificate has to obtain the prior approval of Registering Authority;

(vi) कि प्रमाणपत्र धारक व्यवसाय करने या चलाने के प्रयोजन के लिए उप-एजेंटों का नियोजन नहीं करेगा।

that the holder of the certificate shall not employ sub-agents for the purpose of conducting or carrying on his business;

(vii) कि प्रमाण पत्र धारक प्रवासियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेगा और निर्धारित मानक मजदूरी का भी पालन करेगा।

that the holder of the certificate shall not charge more than the prescribed fee from the emigrants and also adhere to prescribed standard wages;

(viii) कि प्रमाणपत्र धारक अपने व्यवसाय-स्थल पर निम्नलिखित के स्थायी रिकार्ड रखेगा:

that the holder of the certificate shall maintain the following permanent records at his place of business:-

(क) भर्ती किए गए उत्प्रवासियों से शुल्क प्राप्ति का रजिस्टर जो मूल चुकौती पंजिका के रूप में होगा और उसमें उस प्रत्येक उत्प्रवासी का हस्ताक्षर होगा जिससे शुल्क प्राप्त किया गया। ऐसा प्रत्येक रजिस्टर भर्ती-माँग के संदर्भ में होगा।

(a) a Register of receipt of charges from emigrants recruited, in the form of an original Acquittance Roll containing the signature of each emigrant from whom the charge has been received. Each such Register shall be with reference to a demand for recruitment,

(ख) एक रजिस्टर और नियोक्ताओं से प्राप्त धनराशि एवं पूर्व-संदत्त टिकट बीजकों का पहचान की गई माँग-वार रिकार्ड और साथ में उसकी फोटो प्रतियाँ।

b) a Register and record of the amounts and Pre-paid Ticket Advice, alongwith their photocopies received from the employers, identified demand - wise,

(ग) उत्प्रवासियों की भर्ती पर माँग-वार उपगत व्यय का ब्यौरा और उसके समर्थन में दस्तावेज।

c) a Register containing details of expenses incurred on the recruitment of emigrant's demand-wise supported by documents,

घ) (अलग-अलग फोल्डर में, नियोक्ता के संबंध में रिकार्ड, जिनके श्रमिक-माँग पर प्रमाणपत्र धारक द्वारा कार्रवाई की गई, कार्रवाई के लिए प्रस्तावित है या कार्रवाई की जा रही है।

(d) individual folders for each employer whose demands of labour, the holder of the certificate has processes, proposed to process or is processing,

(ङ) प्रमाणपत्र धारक द्वारा भर्ती किये गए उत्प्रवासी का जीवन-वृत्त (जिसमें उसका नाम, पता, आयु, कौशल, अनुभव और निकट संबंधी का नाम और पता सहित पूरा ब्यौरा दिया गया हो)।

(e) bio-data (giving full particulars including name, address, age, skill, experience and name and address of next of kin) of each emigrant recruited by the holder of the certificate,

(च) प्रत्येक उत्प्रवासी की रोजगार संविदा की उत्प्रवास संरक्षी द्वारा प्रमाणित की गई प्रतियाँ।

(f) copies of employment contracts of each emigrant as authenticated by the Protector of Emigrants,

(छ) मूल माँग, पॉवर ऑफ एटार्नी और नियोक्ता के साथ किये गए पत्र-व्यवहार।

(g) original demand, power of attorney and correspondence with the employers,

(ज) उत्प्रवासियों की भर्ती से संबंधित सभी दस्तावेज, जिसमें जारी किये गये सभी विज्ञापनों की कार्यालय प्रतियाँ, साक्षात्कार हेतु पत्र और आवेदकों के साथ पत्र-व्यवहार, मूल एवॉर्ड-शीट जिसके आधार पर चयन किया गया, चयन प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के नाम और पते, नियुक्ति-पत्रों की फोटो प्रतियाँ, ट्रेड-टेस्ट के ब्यौरे आदि शामिल हों।

(h) all documents relating to recruitment of emigrants, including office copies of all advertisements issued, letters of interviews and correspondence with the applicants, original award sheets leading to the selection, names and addresses of persons involved in the selection process, copies of letters of appointments, trade-testing particulars. etc,

(झ) नियोक्ताओं से प्राप्त वीजाओं का एक रजिस्टर, जिसमें ब्लॉक और व्यक्तिगत वीजा का अलग से लेखा-जोखा दिया गया हो।

(i) a Register of visas received from the employers, giving separate account of block and individual visas,

(ञ) प्रमाणपत्र धारक द्वारा भर्ती किये गये उत्प्रवासियों या उनके आश्रितों को चोट लगने या मृत के लिए क्षतिपूर्त दावों का एक रजिस्टर जिसमें उत्प्रवासी का नाम, पता, उत्प्रवास संख्या, रोजगार का देश, यथास्थिति, चोट या मृत की प्रकृति, दुर्घटना की तारीख, प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते, नियोक्ता का नाम और पता दिया गया हो और मुआवजा दिए जाने के प्रतीक के रूप में मूल पावती चिपकाई गई हो।

(j) a Register of claims for compensation for injury or death made by the emigrants or their dependents, recruited by the holder of the certificate giving the name, address of the emigrant, emigration number, country/region of employment, nature of injury or death, as the case may be, date of accident, name, address of the recipients, name and address of the employer, and the receipt in original in token of having made the payment of compensation be pasted,

(ट) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा यथावांछित अन्य रिकार्ड रखे जाएं।

(k) such other records as may be required to be maintained by the registering authority,

(ix) कि प्रमाणपत्र धारक आने वाले महीने की दस तारीख तक पूर्ववर्ती माह के रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

that the holder of the certificate shall furnish return of the preceding month in Form IV by the 10th of the succeeding month

(x) कि उत्प्रवासियों की भर्ती के विज्ञापनों की प्रतियाँ उत्प्रवास संरक्षियों के समक्ष दाखिल की जाएंगी और

that copies of advertisements for recruitment of the emigrants shall be filed with the Protector of Emigrants, and

(xi) कि भर्ती एजेंट उत्प्रवासी से देश-प्रत्यावर्तन प्रभार नहीं वसूलेगा।

that recruiting agent shall not charge the repatriation expenses from the emigrants

पंजीकरण प्रमाण-पत्र की निबंधन और शर्तें
नियम 10 (2) देखें
Terms and Conditions of Registration Certificate
See Rule 10 (2)

(xii) प्रमाण-पत्र धारक :

The holder of the certificate shall:

- (क) भर्ती से पहले भावी उत्प्रवासी को रोजगार के विवरण प्रदान करेगा जिसमें संविदा की शर्तें भी शामिल होंगी।
- (a) provide details of employment, including contract conditions, to the intending emigrants before recruitment,
- (ख) रोजगार के देश में नियोक्ता द्वारा उत्प्रवासी का उचित स्वागत सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- (b) endeavour to ensure proper reception of the emigrant' by the employer in the country/region of employment,
- (ग) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि रोजगार के बाद नियोक्ता रोजगार संविदा की शर्तों को बदले नहीं।
- (c) endeavour to ensure that subsequent to the employment, the employer shall not alter the terms of the employment contract,
- (घ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि नियोक्ता रोजगार के देश में उत्प्रवासी के ठहरने के लिए अधिकृत दस्तावेजों के नवीकरण हेतु समय पर कार्रवाई करे।
- (d) endeavour to ensure that the employer takes timely action for renewal of documents authorising the stay of the emigrant in the country/region of employment,
- (ङ) नियोक्ता और उत्प्रवासी के बीच के विवादों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान करना सुगम बनाएगा।
- (e) facilitate amicable settlement of disputes between the employer and the emigrant,
- (च) उत्प्रवासी से प्राप्त भुगतानों की रसीद जारी करेगा।
- (f) issue receipt for the payments received from the emigrant,
- (छ) केवल ऐसे विज्ञापनों को ही जारी करेगा, जो वास्तविक हो और तथ्यात्मक रूप से सही हों और इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रलोभन या गलत प्रस्तुतीकरण से बचेगा।
- (g) issue only such advertisements that are genuine and factually correct and shall refrain from any inducement or misrepresentation in this regard,
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि नियोक्ता रोजगार संविदा की निबंधन और शर्तों का पालन करे।
- (h) ensure that the employer observes the terms and conditions of the employment contract.

(xiii) प्रमाण-पत्र धारक निम्नलिखित का व्यवस्थापन करेगा

The holder of the certificate shall maintain:

- (क) निर्मित क्षेत्र का कम से कम पचास वर्ग मीटर का कार्यालय परिसर जिसमें कम से कम 30 व्यक्तियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष हो, साक्षात्कार लेने के उद्देश्य हेतु एक कमरा और एक कार्यालय स्थान जिसमें फर्नीचर, फोटोकॉपी मशीन, टेलीफोन जिसमें अंशदाता ट्रंक डायलिंग और अंतरराष्ट्रीय डायलिंग सुविधा हो, फैक्स, कंप्यूटर और अन्य कार्यालयी सुविधाएं हों, जैसा कि लिखित आदेश द्वारा पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित किया जाए।
- (a) office premises of not less than fifty square meters of built-up area, having a waiting hall for at least thirty persons, a room for the purpose of conducting interview and an office space equipped with furniture, photocopier, telephone with subscribers trunk dialing and international dialing facility, fax, computers and other office amenities as may be specified by the registering authority by order in writing,
- (ख) कार्यालय कर्मचारियों के लिए वर्क स्टेशन।
- (b) work stations for the office personnel,
- (ग) इंटरनेट सुविधा, ई-मेल अकाउंट और वेब पोर्टल जिसमें भर्ती एजेंट, पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता की स्थिति, पेशकश की गई सेवाएं, सेवाओं की लागत, सेवा प्रभारों का भुगतान करने का तरीका, समस्याओं के निदान हेतु उत्प्रवासियों के लिए उपलब्ध उपचार, नौकरी, नियोक्ता और संविदा नियमों के साथ-साथ विगत में की गई भर्तियों सहित उपलब्ध रिक्तियां और ऐसे अन्य विवरण जैसा कि लिखित आदेश में पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित किया जाए।
- (c) internet facility, email accounts and a web portal containing detailed information about the recruiting agent, the validity status of the registration certificate, the services offered, the cost of services, the mode of payment of service charges, the remedies available to emigrants for redressal of grievances, vacancies available along with the details of the jobs, the employer and the contract conditions as well as the recruitments made in the past with such particulars as the registering authority may specify by order in writing,

(घ) पर्याप्त और उचित रूप से प्रशिक्षित स्टाफ ।

(d) adequate and duly trained staff,

(ड) एक सूचनापट्ट, जो व्यवसाय परिसर के सामने की ओर लगाया गया हो या ऐसे लगाया गया हो जो कार्यालय परिसर के बाहर से लोगों को सुस्पष्टता से दृश्य हो, जिसमें भर्ती एजेंट का नाम और पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का वर्ष उल्लिखित किया गया हो

(e) a signboard, to be displayed in front of the business premises or so fixed that it is conspicuously visible to the public

(च) वह जिस ट्रेड के लिए भावी उत्प्रवासी की भर्ती करना चाहता है उसके कौशल परीक्षण का प्रबंध।

(f) arrangements for skill testing for the trades for which he recruits the intending emigrants.

तारीख और स्थान : 12-10-2026 New Delhi
Date and Place:



पंजीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और मोहर
Signature, name and seal of the Registering Authority.